

छत्तीसगढ़

आरक्षण ने बदला अंबिकापुर निगम का समीकरण, कई दिग्गज नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

सरगुजा। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की स्थिति सफ हो चुकी है। ये तथारी भी अब सफ होनी जा रही है कि किन वार्डों से कोन मैदान में उतरेगा। क्योंकि आरक्षण के बाद कई सीमित नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर चुका है। वहाँ कई दिग्गज अब आरक्षण के हिसाब से तैयारियों में जुटे हैं हालांकि बड़े नेताओं को संगठन चाहे तो अच्युत वार्ड से भी मैदान में उतर सकता है।

लेकिन ऐसी स्थिति में उनकी जीत की गुंजाइश कम हो जाती है, जो 15-20 वर्षों से तैयारी की जनता के साथ जुड़कर सेवा करते रहते हैं। आइये जानते हैं अंबिकापुर नगर निगम में आरक्षण के बाद किस वार्ड की क्या स्थिति बनी है।

गुरुवार को नगरीय निकाय के चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण हुए। कलेक्टरेट सभाकक्ष में आयोजित बाई आरक्षण के दौरान कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों ने चर्चा निकालकर वार्डों का आरक्षण कराया। इस दौरान एसटी, एससी, औबीसी, सामान्य वर्ग के लिए महिला एवं पुरुष वर्ग के आधार पर लॉटरी निकाली गई। शासन के निर्वाचित आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति, महिला एवं

पुरुष वर्ग से 2 सीट आरक्षण किए गए। बाद अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के लिए 3, अनुसूचित जनजाति मुक्त के लिए 7, अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त के लिए 8, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 4, अनारक्षण महिला के लिए 8 और सामान्य वर्ग के लिए 16 वार्डों का आरक्षण किया गया।

16 वार्ड हुए अनारक्षण : वार्ड आरक्षण में शहर के भावानपुर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महराणा प्रताधीन वार्ड, वीर संवारक वार्ड, देवीपंज वार्ड, भगवान महावीर वार्ड, शहीद वीर नायरवार्ड, सीतीपारा वार्ड, गुरुनानक वार्ड, गोविंदवार्ड, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, ब्रह्म वार्ड, गुरुद्वारा वार्ड, अग्रसेन वार्ड, डॉ। जाकिर हुसैन वार्ड नवागढ़ वार्ड को अनारक्षण मुक्त किया गया है।

8 वार्ड आरक्षण महिला : आरक्षण के दौरान मंगल पांडे वार्ड, स्वामी विवेकानन्द वार्ड, इंद्रिया गांधी वार्ड, रैदास वार्ड, महाराणा गांधी वार्ड, पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड, स्वामी विवेकानन्द वार्ड, डॉ। गणेश प्रसाद वार्ड, कबीर वार्ड को अनारक्षण महिला घोषित किया गया है।

अनुसूचित जनजाति महिला एवं मुक्त वार्ड : नगरीय निकाय चुनाव में शहर के 3



डॉ। भीमराव अम्बेडकर वार्ड को अनुसूचित जाति मुक्त एवं रामनुज वार्ड को अनुसूचित जाति महिला वार्ड घोषित किया गया।

ओबीसी मुक्त एवं महिला वार्ड : आरक्षण के दौरान शहर के 8 वार्डों गुरुदेव रत्ननाथ टेंगोर वार्ड, माता राजमोहनीदेवी वार्ड, गुरुसाहस्रादास वार्ड, शहीद भगत सिंह वार्ड, लोक नायक जय प्रकाश वार्ड, रफी अहमद किंदरब वार्ड, शहीद अब्दुल हमीद वार्ड को अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त वार्ड घोषित किया गया।

गया। जबकि शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड, नेताजी सुभाषनगर वार्ड, शीतला वार्ड, महामाया वार्ड को अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षण किया गया।

बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद होंगे प्रभावित : आरक्षण में शहर के कई बड़े नेताओं के वार्ड आरक्षण में घोषित किया गया है। बीजेपी कांग्रेस के कई पार्षद होंगे।

ये लेकिन आरक्षण में अब यह वार्ड अन्य

पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षण हो गया है। इस वार्ड से मध्यसूदन लगातार तीन बार इस वार्ड से चुनाव जीत चुके हैं।

कांग्रेस के दो पार्षद भी प्रभावित : वार्ड आरक्षण में कांग्रेस के सिर्फ दो वार्ड ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वार्ड आरक्षण में वार्ड क्रमांक 32 शीतला वार्ड शामिल है। शीतला वार्ड पूर्व में सामान्य वार्ड था। इस वार्ड से बीजेपी मंडल अध्यक्ष मध्यसूदन शुक्ला पार्षद चुनकर आए थे।

लेकिन आरक्षण में अब यह वार्ड अन्य ओबीसी महिला चुनाव लड़ रही।

कांग्रेस के दो पार्षद भी प्रभावित : वार्ड आरक्षण में कांग्रेस के सिर्फ दो वार्ड ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वार्ड आरक्षण में वार्ड क्रमांक 22 नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड भी अब अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त वार्ड हो गया है। ऐसे में इस वार्ड से भी अब

ओबीसी महिला चुनाव लड़ रही।

कांग्रेस के दो पार्षद भी प्रभावित : वार्ड आरक्षण में कांग्रेस के सिर्फ दो वार्ड ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वार्ड आरक्षण में वार्ड क्रमांक 22 नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड भी अब अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त वार्ड हो गया है। इस वार्ड से भी अब

ओबीसी महिला चुनाव लड़ रही।

कांग्रेस के दो पार्षद होंगे प्रभावित : वार्ड आरक्षण में कांग्रेस के सिर्फ दो वार्ड ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वार्ड आरक्षण में वार्ड क्रमांक 22 नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड भी अब अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त वार्ड हो गया है। इस वार्ड से भी अब

ओबीसी महिला चुनाव लड़ रही।

अनुसूचित जाति व जनजाति के युवाओं को छ्रण देने में टिलाई

कलेक्टर ने बैंक अधिकारियों को लगाई फटकार



बलौदाबाजार। अनुसूचित जाति के युवाओं को छ्रण देने में कोठाही बरतने और शासकीय योजनाओं पर त्वरित कियाजित नहीं करने पर कलेक्टर दीपक सोनी ने बैंक अधिकारियों को कहाँ फटकार लगाये हैं सख्त कार्रवाई करने की बाबत।

जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में बैंकों की कार्रवाईयां लगायी गई। बैठक में बैंकों की आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति के युवाओं को छ्रण देने की बाबत विवाद आया। यदि कोई बैंक ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर ने युवाओं को छ्रण देने की बाबत विवाद आया। यदि कोई बैंक ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर ने युवाओं को छ्रण देने की बाबत विवाद आया। यदि कोई बैंक ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर ने युवाओं को छ्रण देने की बाबत विवाद आया। यदि कोई बैंक ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर ने युवाओं को छ्रण देने की बाबत विवाद आया। यदि कोई बैंक ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर ने युवाओं को छ्रण देने की बाबत विवाद आया। यदि कोई बैंक ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर ने युवाओं को छ्रण देने की बाबत विवाद आया। यदि कोई बैंक ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर ने युवाओं को छ्रण देने की बाबत विवाद आया। यदि कोई बैंक ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर ने युवाओं को छ्रण देने की बाबत विवाद आया। यदि कोई बैंक ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर ने युवाओं को छ्रण देने की बाबत विवाद आया। यदि कोई बैंक ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर ने युवाओं को छ्रण देने की बाबत विवाद आया। यदि कोई बैंक ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर ने युवाओं को छ्रण देने की बाबत विवाद आया। यदि कोई बैंक ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर ने युवाओं को छ्रण देने की बाबत विवाद आया। यदि कोई बैंक ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर ने युवाओं को छ्रण देने की बाबत विवाद आया। यदि कोई बैंक ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर ने युवाओं को छ्रण देने की बाबत विवाद आया। यदि कोई बैंक ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर ने युवाओं को छ्रण देने की बाबत विवाद आया। यदि कोई बैंक ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर ने युवाओं को छ्रण देने की बाबत विवाद आया। यदि कोई बैंक ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर ने युवाओं को छ्रण देने की बाबत विवाद आया। यदि कोई बैंक ऐसा करते पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

</div

